UPBN010041772026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1567/2026
रामनीर उर्फ नन्दी बनाम राज्य
मु०अ०सं०–149/2026
धारा–108 बी०एन०एस०
थाना–कादरचौक, जिला–बदायूँ।

24–06–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त**रामनीर उर्फ नन्दी** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र **मु०अ०सं०–149/2026, धारा–108 बी०एन०एस०, थाना–कादरचौक**, जिला–बदायूँ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा कोमिल द्वारा थाना–कादरचौक, जिला–बदायूँ में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि मेरा घर मोरसिंह के घर के पास है। मेरी बेटी साक्षी आये दिन अपने जानवरों को चारा डालने घेर मं जाती थीं दिनाँक 13–05–2026 को सुबह मेरी बेटी साक्षी चारा डालने गयी थी तभी पड़ोसी नन्दी ने अपने मोबाइल फोन से मेरी बेटी साक्षी का फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपने फोटो के साथ लगाया था। जब इस बात की जानकारी मेरी बेटी साक्षी को लगी तो साक्षी ने मुझे बताया। तब मैं व मेरी बेटी साक्षी व सरिता इसकी शिकायत लेकर नन्दी के घर गए तो नन्दी अपने घर पर मौजूद मिला। जब हमने इंस्टाग्राम पर लगे फोटो के बारे में शिकायत की तो नन्दी एकदम आग बबूला हो गया और कहने लगा कि साक्षी मेरी है। मैं इंस्टाग्राम से फोटो नहीं हटाउंगा, साक्षी अभी जाकर मर जाये। इस बात से क्षुब्ध होकर मेरी बेटी साक्षी उम्र 16 वर्ष ने घर आकर दुपट्टा से फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डालकर आत्महत्या कर ली थी। बाद पोस्टमार्टम अपनी बेटी के शब का क्रियाकर्म करके आज रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना– कादरचौक, जिला–बदायूँ पर मु०अ०सं०–149/2026, धारा 108 बी०एन०एस० के अंतर्गत अभियुक्त नन्दी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि एफ०आई०आर० घटना के दो दिन बाद लिखायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। इंस्टाग्राम पर मृतका साक्षी का फोटो लगाने क बात के कारण मृतक साक्षी द्वारा आत्महत्या करने की बात गलत है। जबकि मृतका साक्षी की अपने पिता कोमिल से किसी बात को लेकर कहा–सुनी हो गयी थी तथा मारपीट तक नौबत आ गयी थी। इसी के बाद मृतका साक्षी की मृत्यु हो गयी। गाँव वालों के मुताविक मृतका साक्षी की लाश लटकते समय पैर फर्श का छू रहे थे। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। साक्षी के घर वालों ने अपने बचाव के कारण

प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ झूठी एफ०आई०आर० करा दी थी। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग बीस दिन से जेल में है। अतः दौरान वाद जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की कृपा की जाय

5– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी साक्षी को आये दिन अपने जानवरों को चारा डालने के लिए घेर में जाने तथा दिनाँक 13–05–2026 की सुबह वादी की बेटी साक्षी चारा डालने जाने पर पड़ोसी नन्दी द्वारा अपने मोबाइल फोन से साक्षी का फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपने फोटो के साथ लगाने और इस बात की जानकारी साक्षी को होने तथा उसके द्वारा वादी को बताने पर वादी तथा उसकी बेटी साक्षी व सरिता द्वारा उक्त बात की शिकायत नन्दी के घर जाकर करने पर अभियुक्त नन्दी का आग बबूला हो जाने और साक्षी को अपना होने और इंस्टाग्राम से उसकी फोटो न हटाने तथा साक्षी को अभी जाकर मर जाने की बात कहने, जिससे क्षुब्ध होकर वादी की बेटी साक्षी उम्र 16 वर्ष द्वारा घर आकर अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डालकर आत्महत्या कर लेने आदि तथ्य कहे गए हैं। **केस डायरी के पर्चा संख्या–1** में वादी मुकदमा **कोमिल** द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में **प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है**। केस डायरी के प**र्चा संख्या 3 में** मृतका की बहन **सरिता** ने अपने बयान अंतर्गत धारा **180 बी०एन०एस०एस०** में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनाँक 13–05–2026 को वह तथा उसकी मृतका बहन साक्षी व उसकी बहन डोली व सहेली रोशनी के घर पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे तभी समय करीब दस बजे रोशनी के पिता गिरीश चन्द्र के मोबाइल ..... पर इंस्टाग्राम आईडी पर उसके गाँव के नन्दी उर्फ रामनीर की इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो साक्षी का फोटो लगाकर गंदा गाना लगा कर वायरल हुआ जो रोशनी के फोन पर भी आया था। जब उन्होंने देखा तो इस बात की जानकारी अपने पिता कोमिल को दी तब उसके पिता कोमिल, वह तथा उसकी बहन साक्षी व डोली इसकी शिकायत करने नन्दी उर्फ रामनीर के घर गए तो नन्दी घर पर मौजूद मिला और उसने कहा कि इंस्टाग्राम पर आईडी उसने ही चलायी है, वह साक्षी को चाहता है, वह फोटो नहीं हटायेगा, इस बात पर उसकी बहन साक्षी को बहुत ग्लानि हुई और वह उन्हें वहीं छोड़कर भागकर घर पर बने उपर दो मंजिल कमरे में कुंडे में से दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली। इसके **अतिरिक्त साक्षीगण डोली, अवनेश, अमरपाल आदि** ने भी अपने– अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्षी सरिता के उपरोक्त बयान का समर्थन किया गया है। मृतका साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia Due to Antemortem hanging अंकित किया गया है। अभियुक्त

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर मृतका के फोटो को अपने फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर लगाकर वायरल करने एवं मृतका साक्षी व उसके परिवारीजनों द्वारा उक्त फोटो को हटाने के लिए कहने पर अभियुक्त द्वारा न हटाने और साक्षी को मर जाने के लिए बोलने अर्थात मृतका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने पर साक्षी द्वारा आत्महत्या किए जाने का आरोप है। साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में सक्रिय भूमिका दर्शित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आधार जमानत पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **रामनीर उर्फ नन्दी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(कु० रिंकू)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
JOCode–UP06101

दिनांक–24–06–2026